न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- M - 03 /2021

धारा–107 द०प्र०सं०

खेदन लोहरा वगैरह प्रथम पक्ष

बनाम

मनसा लोहरा वगैरह द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख संख्या–एम०– 03 /2021 में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी सं०– 25/20 दिनांक 21-12-2021 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीनी विवाद एवं दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद के कारण झगड़ा उत्पन्न होने के कारण तनाव है।	
	जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।	
	अतः मैं सत्यम कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000(पचास हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।	
	अभिलेख तिथि 01/02/2021 को उपस्थापित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित।	
	19/1/21 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) — 19/1/21 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
16-08-2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय-पक्ष उपस्थित। वाद में वैधानिक समय सीमा छः माह पूर्ण हो चुका है अर्थात कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कार्यवाही को बन्द की जाती है। 16/8/21 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (राँची)	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.11 12:52:39 +05:30
Location: 10.93.79.5